mRrj izns'k fgUnh laLFkku dh iqjLdkj fu;ekoyh&1997
¼;FkklaS'kksf/kr&2018½

1& यह नियमावली उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान पुरस्कार नियमावली, 1997 (यथासंशोधित–2018) कहलायेगी।

2& यह नियमावली तुरन्त प्रभावी होगी।

3& यह नियमावली हिन्दी के अच्छे और स्तरीय ग्रन्थ लेखकों को प्रोत्साहित करने तथा दीर्घकालीन हिन्दी सेवा के लिए जीवित साहित्यकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने की योजना के सम्बन्ध में लागू होगी।

4& उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अच्छे और स्तरीय लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन साहित्यिक योगदान एवं हिन्दी सेवा के लिए साहित्यिक विधाओं/विषयों पर आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधनों के आधार पर पुरस्कार दिये जायेंगे।

iqLrdksa ij iqjLdkj ¼jkT;Lrjh;½

5& पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियाँ विभिन्न समाचार पत्रों में इस प्रकार विज्ञप्ति प्रकाशित कर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी कि सभी क्षेत्रों में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार हो जाये। संस्तुति/प्रस्ताव एक निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किये जायेंगे।

i कार्यकारिणी समिति पुरस्कार की प्रत्येक विधा के लिए योग्य विद्वानों/विशेषज्ञों/समीक्षकों की सूची का निर्धारण/चयन करेगी। कार्यकारिणी समिति के न होने पर यह अधिकार पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष को होगा। कार्यकारिणी समिति, पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष के अभाव में निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा समीक्षकों/विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 725/21–4–2007–8(21)/2007, दिनांक 02 जनवरी, 2008 द्वारा संशोधित}

ii पुरस्कार की प्रत्येक विधा में प्राप्त प्रविष्टियों/पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए दो समीक्षकों का चयन किया जायेगा।

iii प्रत्येक विधा/विषय की पुस्तक/पत्रिका पर नामित पुरस्कार और सर्जना पुरस्कार दिये जायेंगे जो क्रमशः रु0 75,000/– तथा रु0 40,000/– अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी। विधा/विषयों की संख्या 38 है। इसमें आवश्यकतानुसार कमी और वृद्धि की जा सकती है और प्रत्येक विधा में उपयुक्त प्रविष्टियाँ प्राप्त न होने पर भी पुरस्कार देने की बाध्यता नहीं होगी। उपरोक्त दोनों पुरस्कार राज्य स्तरीय होंगे और केवल प्रदेश में जन्में अथवा दस साल से निवास करने वाले साहित्यकारों को अनुमन्य होंगे।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0–54/21– 4–2018–2/2013, दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा संशोधित}

iv मौलिक/प्रकाशित/पुस्तकाकार रचना ही पुरस्कार के योग्य मानी जायेगी। अनुवादित कृति अनुवादित साहित्य विधा को छोड़कर विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया ग्रन्थ/ प्रबन्ध या शोध कार्य पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा।

v पुस्तक का प्रथम संस्करण पुरस्कार के लिए विचारणीय होगा। पूर्व प्रकाशित पुरस्तक के संशोधित संस्करणों के पुस्तक के रूप में प्रकाशित संग्रह उसी रूप में पुरस्कार के लिए विचारणीय हो सकते हैं, यदि उनकी 60 प्रतिशत सामग्री पूर्व प्रकाशित न हो।

vi विभिन्न खण्डों में विभाजित कृति का अपूर्ण खण्ड पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा। वर्ष विशेष में सभी खण्ड मुद्रित होने चाहिए।

vii ऐसी कृति, जिसे पहले उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान से कोई पुरस्कार मिल चुका हो, पुरस्कार योग्य नहीं मानी जायेगी।

viii हिन्दी संस्थान के वर्तमान अधिकारियों, सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति, पुरस्कार समिति के वर्तमान सदस्य तथा संस्थान द्वारा पूर्व में विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित साहित्यकार पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं होंगे। किसी एक लेखक को एक विधा में केवल एक बार तथा सभी विधाओं में केवल दो बार से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जायेगा। किसी एक पत्रिका को एक बार से अधिक उसी विधा में पुरस्कृत नहीं किया जायगा। पत्रिका पर दिये जाने वाला पुरस्कार सम्पादक के स्थान पर सीधे पत्रिका को दिया जायेगा। पुस्तकों पर देय नामित व सर्जना पुरस्कारों के रचनाकारों से उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है अथवा पिछले दस वर्षो से उत्तर प्रदेश में निवास का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

ix पुस्तकों हेतु प्राप्त प्रविष्टियों में से प्रत्येक समीक्षक 100 पूर्णांक के आधार पर मूल्यांकन कर अंक प्रदान करेंगे। इसके पश्चात् दोनों समीक्षकों द्वारा प्रदत्त अंको को जोड़कर कुल योग पर विचार–विमर्श के उपरान्त पुरस्कार समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

x पुरस्कार प्रविष्टि के लिए प्रत्येक पुस्तक की चार प्रतियाँ तथा पत्रिका विधा में वर्ष विशेष में प्रकाशित सभी अंकों की 4–4 प्रतियां अपेक्षित होंगी। योजना में प्राप्त पुस्तकें/पत्रिकायें लेखक/प्रकाशक को वापस नहीं की जायेगी। पुरस्कार हेतु प्रेषित पुस्तक की पृष्ठ संख्या कम से कम 60 पृष्ठ होनी अनिवार्य है।(बाल साहित्य विधा को छोड़कर)

xi पुस्तक की प्रत्येक प्रति पर लेखकों/सम्पादक को निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण–पत्र देना होगा। अपेक्षित प्रमाण पत्र रहित कृति/पुस्तक/पत्रिका पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं मानी जायेगी :–

1– पुस्तक/पत्रिका का नाम :.....

2– लेखक/पत्रिका सम्पादक का नाम : .....

3– लेखक की उम्र : .....

(केवल युवा लेखन पुरस्कार हेतु)

4– जन्म स्थान : .....

5– लेखक/पत्रिका सम्पादक का पता : .....

6– उत्तर प्रदेश में जन्म लेने या उ0प्र0 में पिछले दस वर्ष से लगातार रहने का प्रमाण–पत्र (संलग्न है/संलग्न नहीं है) .....

7– पुस्तक की विधा/विषय की संख्या : .....

8– पुस्तक की विधा/विषय का नाम : .....

9– प्रकाशन वर्ष : .....

(प्रत्येक पुस्तक में प्रथम संस्करण के प्रकाशन का वर्ष मुद्रित होना अनिवार्य होगा।)

10– प्रकाशक का नाम और पता : .....

(1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा रचित ..... शीर्षक पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रथम बार सन् ..... में प्रकाशित हुआ है।

(2) सम्बन्धित पुस्तक का 60 प्रतिशत या उससे अधिक भाग पुस्तक के रूप में इससे पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक शोध प्रबन्ध नहीं है एवं न ही पाठ्य पुस्तक है। (प्रमाण–पत्र का अंश (2) शिंगूल स्मृति सम्मान तथा युवा गीतकार सम्मान के लिए आवश्यक नहीं है)

लेखक/सम्पादक के हस्ताक्षर :.....

दिनांक : .....

पूरा पता : .....

.....

.....

xii विधा/विषय :– 1. बाल साहित्य (सूर नामित पुरस्कार, सोहन लाल द्विवेदी सर्जना पुरस्कार), 2. अवधी (मलिक मुहम्मद जायसी नामित पुरस्कार, वंशीधर शुक्ल सर्जना पुरस्कार), 3. ब्रजभाषा (श्रीधर पाठक नामित पुरस्कार, ह्रषीकेश चतुर्वेदी सर्जना पुरस्कार), 4. भोजपुरी (राहुल सांस्कृत्यायन नामित पुरस्कार, भिखारी ठाकुर सर्जना पुरस्कार), 5. बुन्देली (मैथिलीशरण गुप्त नामित पुरस्कार, ईसुरी सर्जना पुरस्कार), 6. राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मकता समन्वय सम्बन्धी साहित्य (कबीर नामित पुरस्कार, नज़ीर अकबराबादी सर्जना पुरस्कार), 7. महाकाव्य (तुलसी नामित पुरस्कार, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' सर्जना पुरस्कार), 8. नाटक (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नामित पुरस्कार, मोहन राकेश सर्जना पुरस्कार), 9. शिक्षा (मदन मोहन मालवीय नामित पुरस्कार, बाबू श्याम सुन्दरदास सर्जना पुरस्कार), 10. विधि तथा विधि शास्त्र (डॉ. भीमराव अम्बेडकर नामित पुरस्कार, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी सर्जना पुरस्कार), 11. धर्म/दर्शन (भगवानदास नामित पुरस्कार, नन्द किशोर देवराज सर्जना पुरस्कार), 12. राजनीतिशास्त्र (गणेश शंकर विद्यार्थी नामित पुरस्कार, के.एम. मुंशी सर्जना पुरस्कार), 13. निबन्ध (महावीर प्रसाद द्विवेदी नामित पुरस्कार, गुलाब राय सर्जना पुरस्कार), 14. भाषा/भाषा विज्ञान (डॉ0 धीरेन्द्र वर्मा नामित पुरस्कार, भोलानाथ तिवारी सर्जना पुरस्कार), 15. वनस्पति/प्राणिशास्त्र (बीरबल साहनी नामित पुरस्कार, आचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी सर्जना पुरस्कार), 16. चिकित्सा विज्ञान (एलोपैथी/आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) (पं. सत्यनारायण शास्त्री नामित पुरस्कार, डॉ. सतीश चन्द्र राय सर्जना पुरस्कार) 17. उपन्यास (प्रेमचन्द नामित पुरस्कार, अमृतलाल नागर सर्जना पुरस्कार), 18. खण्डकाव्य (जयशंकर प्रसाद नामित पुरस्कार, आनन्द मिश्र सर्जना पुरस्कार), 19. आलोचना (रामचन्द्र शुक्ल नामित पुरस्कार, रामविलास शर्मा सर्जना पुरस्कार), 20. अर्थशास्त्र (गोविन्द वल्लभ पंत नामित पुरस्कार, चाणक्य–आशिष् सर्जना पुरस्कार), 21. इतिहास (आचार्य नरेन्द्र देव नामित पुरस्कार, ईश्वरी प्रसाद सर्जना पुरस्कार), 22. साहित्यकारों द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनूदित कृति पर (सुब्रह्मण्य भारती नामित पुरस्कार, काका कालेलकर सर्जना पुरस्कार), 23. गीत/मुक्तक

(निराला नामित पुरस्कार, बलबीर सिंह 'रंग' सर्जना पुरस्कार), 24. गज़ल (दुष्यंत कुमार नामित पुरस्कार, अदम गोंडवी सर्जना पुरस्कार) 25. पत्रकारिता (बाबूराव विष्णु पराड़कर नामित पुरस्कार, धर्मवीर भारती सर्जना पुरस्कार), 26. गणित/भौतिक/रसायन (के.एन. भाल नामित पुरस्कार, आर्यभट्ट आशिष सर्जना पुरस्कार), 27. युवा लेखन (35 वर्ष तक के लेखकों हेतु) (बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' नामित पुरस्कार, डॉ. रांगेय राघव सर्जना पुरस्कार), 28. प्राविधि (टेक्नोलॉजी) (सम्पूर्णानन्द नामित पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा सर्जना पुरस्कार), 29. कहानी (यशपाल नामित पुरस्कार, रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी' सर्जना पुरस्कार), 30. संस्कृति (हजारी प्रसाद द्विवेदी नामित पुरस्कार, विद्यानिवास मिश्र सर्जना पुरस्कार), 31. लोक साहित्य विवेचन (पं. रामनरेश त्रिपाठी नामित पुरस्कार, बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस' सर्जना पुरस्कार), 32. यात्रा—वृतान्त/संस्मरण/रेखाचित्र/डायरी (सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' नामित पुरस्कार, जगदीश गुप्त सर्जना पुरस्कार), 33. आत्मकथा/जीवनी (पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' नामित पुरस्कार, विष्णु प्रभाकर सर्जना पुरस्कार), 34. मासिक/द्वैमासिक/त्रैमासिक पत्रिकाओं पर (सरस्वती नामित पुरस्कार, धर्मयुग सर्जना पुरस्कार), 35. समस्त विधाओं में केवल महिला साहित्यकारों की कृति पर (महादेवी वर्मा नामित पुरस्कार, विद्यावती कोकिल सर्जना पुरस्कार), 36. व्यंग्य (हरिशंकर परसाई नामित पुरस्कार, शरद जोशी सर्जना पुरस्कार), 37. कविता (विजयदेव नारायण साही नामित पुरस्कार, नरेश मेहता सर्जना पुरस्कार) 38. ललित कला/संगीत (गिरिजा देवी नामित पुरस्कार, डी.पी. धूलिया सर्जना पुरस्कार)

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—54/21— 4—2018—2/2013, दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा संशोधित}

6& fof'k"V lEeku ¼vf[ky Hkkjrh; Lrj½

साहित्य की दीर्घकालीन/आजीवन सेवा करने तथा विभिन्न विधा/विषयों में विशिष्ट साहित्यिक सेवा को देखते हुए निम्नवत् छः सम्मान — भारत भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, हिन्दी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान तथा अवंतीबाई साहित्य सम्मान दिये जायेंगे। यह सम्मान अखिल भारतीय स्तर पर दिये जायेंगे।

7& Hkkjr&Hkkjrh lEeku

दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत हिन्दी सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यह सम्मान प्रदान किया जायेगा, जिसकी संख्या एक होगी और इस पुरस्कार की धनराशि रु0 5,00,000=00 (रु0 पांच लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0— 06 मु0मं0/ 21—4—2013—02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

8— ykfg;k lkfgR; lEeku

भारतीय जीवन और उसके उत्कर्ष को रेखांकित करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में अस्मिता और सद्भावना को प्रकाशित करने वाले साहित्यकार/कृतिकार को यह सम्मान अखिल भारतीय स्तर पर दिया

जायेगा, जिसकी संख्या एक होगी। इस सम्मान की धनराशि रु0 4,00,000=00 (रु0 चार लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।
{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

9& fgUnh xkjo lEeku

यह सम्मान किसी ऐसे एक विशिष्ट हिन्दी सेवी को प्रदान किया जायेगा जिसने हिन्दी के प्रभावपूर्ण प्रचलन का कार्य भारत और विश्व स्तर पर उन विशिष्ट क्षेत्रों में निरन्तरता के साथ किया हो, इस हेतु नव मार्ग–दर्शन प्रदान किया हो, नयी व्यवस्था प्रारम्भ की हो अथवा हिन्दी की महत्वपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से हिन्दी को व्यापक और यशस्वी बनाने में महती भूमिका निभाई हो अथवा हिन्दी भाषा अथवा साहित्य को अपने सराहनीय कृतित्व से अप्रतिम गौरव प्रदान किया हो। इस सम्मान की राशि रु0 4,00,000=00 (रु0 चार लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।
{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

10& egkRek xka/kh lkfgR; lEEkku

यह सम्मान ऐसे एक रचनाकार को दिया जायेगा, जिसने गांधी जीवन–दर्शन और सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी साहित्य की किसी भी विधा में उत्कृष्ट और निरन्तर रचना की हो। इस सम्मान की धनराशि रु0 4,00,000=00 (रु0 चार लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।
{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0–06 मु0मं0/ 21–4–2013– 02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

11& i- nhun;ky mik/;k; lkfgR; lEeku

यह सम्मान ऐसे एक लेखक, चिन्तक, विचारक को दिया जायेगा जिसने हिन्दी भाषा के माध्यम से भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कारों से अनुप्राणित उत्कृष्ट साहित्य रचना की हो और पं0 दीन दयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप सामाजिक पुनर्जागरण एवं राष्टीयता से ओत–प्रोत साहित्यिक चेतना का विकास किया हो। यह सम्मान अखिल भारतीय स्तर का होगा। इसकी धनराशि रु0 4,00,000=00 (रु0 चार लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।
{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

12& voUrhckbZ lkfgR; lEeku

यह सम्मान हिन्दी के माध्यम से राष्टीयता से ओतप्रोत एवं ान्तिकारी व शहीदों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने वाले दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए प्रदान किया जायेगा, जिसकी संख्या एक होगी। इस सम्मान की धनराशि रु0 4,00,000=00 (रु0 चार लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।
{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

13& ekin.M

भारत–भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, हिन्दी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पं0 दीन दयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान एवं अवन्तीबाई साहित्य सम्मान के लिए साहित्यकारों का चयन निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा :–

(क) शीर्षस्थ प्राप्त साहित्यकार।

(ख) 60 वर्ष से अधिक आयु के साहित्यकार।

(ग) उपर्युक्त सभी छः सम्मान एक ही श्रेणी के माने जाएंगे, जो साहित्यकार की दीर्घकालीन/आजीवन सेवा के लिए उन्हें इनमें से कोई एक सम्मान एक ही बार दिया जायेगा।

14& lkfgR; Hk"k.k lEeku

दीर्घकालीन विशिष्ट साहित्य रचना एवं हिन्दी सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों को साहित्य भूषण सम्मान से समादृत किया जायेगा जिसकी संख्या 20 होगी और प्रत्येक की धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0–54/21– 4–2018–2/2013, दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा संशोधित}

15 ykd Hk"k.k lEeku

लोक साहित्य एवं लोक परम्परा से सम्बन्धित भारतीय लोक साहित्य की विशिष्ट दीर्घकालीन सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक साहित्यकार को यह सम्मान प्रदान किया जायेगा। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/21–4–2013 –02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

16& dyk Hk"k.k lEeku

ललित कला मूर्तिकला, चित्रकला आदि के उत्थान एवं उन्नयन, प्रचार एवं प्रसार की दिशा में बहुआयामी दीर्घकालीन उत्कृष्ट कला के साधक एवं कलाकार, उपासक जिसकी संख्या एक होगी, को यह सम्मान दिया जायेगा। यह पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर का होगा तथा इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013 –02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

17& fo|k Hk"k.k lEeku

शिक्षण, शोध एवं अनुसंधान के प्रति समर्पित मानविकी विषयों से सम्बन्धित विधाओं के लेखक/साहित्यकारों, जिसकी संख्या एक होगी, को अखिल भारतीय स्तर पर यह सम्मान दिया जायेगा। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

18& foKku Hk"k.k lEeku

हिन्दी भाषा के माध्यम से विज्ञान/तकनीकी के क्षेत्र में दीर्घकालीन विशिष्ट विज्ञान लेखन/विज्ञान सम्बन्धी उत्कृष्ट शोध/अन्वेषण कार्यों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक लेखक को यह सम्मान दिया जायेगा। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

19 i=dkfjrk Hk"k.k lEeku

हिन्दी भाषा के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में दीर्घकालीन विशिष्ट योगदान के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक पत्रकार को यह सम्मान दिया जायेगा। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

20& izoklh Hkkjrh; fgUnh Hk"k.k lEeku

विदेशों में दीर्घकालीन हिन्दी सेवा तथा हिन्दी के उन्नयन एवं प्रचार–प्रसार के लिए समर्पित एक प्रवासी भारतीय हिन्दी सेवी साहित्यकार अथवा कम से कम दस वर्ष वहाँ रहकर हिन्दी के प्रचार–प्रसार का कार्य करने वाले हिन्दी सेवी विद्वान को यह सम्मान दिया जायेगा, जिसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

21& cky lkfgR; Hkkjrh lEeku

दीर्घकालीन उत्कृष्ट बाल साहित्य साधना के लिए बाल साहित्य के अनन्य साधक एवं उपासक जिसकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। अखिल भारतीय स्तर पर यह सम्मान दिया जायेगा। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0– 06 मु0मं0/ 21–4–2013–02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

22 lkgknr lEeku ¼vf[ky Hkkjrh; Lrj½

हिन्दी तथा हिन्दीतर भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक विनिमय, सौहार्द और समन्वय को पुष्ट करने के लिए हिन्दीतर साहित्यकारों को सौहार्द सम्मान से अलंकृत किया जायेगा। हिन्दीतर साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जो मूलतः भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351) में उल्लिखित भाषाओं (हिन्दी को छोड़कर) किसी भी एक भाषा में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार द्वारा हिन्दी में भी साहित्य सृजन/अनुवाद आदि के रूप में उल्लेखनीय योगदान किया गया हो। इन सम्मानों की संख्या 15 तक हो सकती है। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0— 06 मु0मं0 / 21—4—2013—02 / 2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

23& ekin.M

साहित्य भूषण सम्मान, लोक भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान, विज्ञान भूषण सम्मान, पत्रकारिता भूषण सम्मान, विद्या भूषण सम्मान, प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान, बाल साहित्य भारती सम्मान तथा सौहार्द सम्मान के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे :—

(क) हिन्दी भाषा में उत्कृष्ट प्रकाशित साहित्य / कृतित्व।

(ख) 60 वर्ष से अधिक आयु के साहित्यकारों को वरीयता।

24& p;u lfefr@p;u izfØ;k

पुरस्कार / सम्मान के बारे में विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लेने के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी समिति द्वारा पुरस्कार समिति गठित की जायेगी। कार्यकारिणी समिति के अभाव में संस्थान के पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुरस्कार समिति का गठन करेंगे। पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष के न होने की दशा में निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की संस्तुति एवं परामर्श पर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार समिति गठित की जायेगी। पुरस्कार समिति में ख्याति प्राप्त साहित्यकार, विश्वविद्यालय के कुलपति / विभागाध्यक्ष, संस्थान के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, वैज्ञानिक तथा अन्य विधा / विषयों के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान एवं प्रमुख सचिव, भाषा अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान पुरस्कार समिति के पदेन सदस्य / सचिव होंगे।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—सी.एम.01 / 21—4— 2013 —8(21) / 2007 टी.सी., दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधित}

25& ijLdkjksa dh ?kks"k.kk&

पुरस्कार समिति द्वारा निर्णीत एवं चयनित पुरस्कारों की घोषणा पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष अथवा निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा तत्काल कर दी जायेगी और यथा सम्भव प्रत्येक 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर पुरस्कारों / सम्मानों का वितरण किया जायेगा।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—सी.एम.01 / 21—4—2013— 8(21) / 2007 टी.सी., दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधित}

26& संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्मानों के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर तथा पूर्व में सम्मानित साहित्यकारों, ख्याति प्राप्त विद्वानों, विशिष्ट साहित्यकारों तथा हिन्दी के प्रतिष्ठित संस्थानों से संस्तुतियाँ प्राप्त कर पुरस्कार समिति द्वारा सम्मानों का निर्धारण किया जायेगा। पुरस्कार समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—सी.एम.01 / 21—4—2013— 8(21) / 2007 टी.सी., दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधित}

27& सम्मान प्राप्त करने वाले साहित्यकारों को यथा परम्परा गंगा की प्रतिमा, ताम्र पत्र तथा अंग—वस्त्र दिया जायेगा।

28& पुरस्कार समिति/कार्यकारिणी समिति की संस्तुति पर शासन के अनुमोदन से पुरस्कारों/सम्मानों की धनराशि और संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

29& fgUnh fons'k i;lkj lEeku &

विदेश में हिन्दी के उन्नयन एवं प्रचार—प्रसार के लिए समर्पित तथा उत्कृष्ट साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार अथवा कम से कम 5 वर्ष से विदेश में हिन्दी—प्रचार का कार्य करने वाले हिन्दी सेवी साहित्यकार को यह सम्मान दिया जायगा, जिसकी संख्या दो तक हो सकती है। प्रत्येक की धनराशि रु0 2,00,000=00 (रुपये दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

ekin.M

(क) उत्कृष्ट प्रकाशित साहित्य/कृतित्व।

(ख) जीवित साहित्यकार

(ग) 60 वर्ष से अधिक आयु के साहित्यकारों को वरीयता।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—54/21— 4—2018—2/2013, दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा संशोधित}

30& enu eksgu ekyoh; fo'ofo|ky;Lrjh; lEeku &

यह सम्मान उत्कृष्ट हिन्दी शिक्षण के साथ रचनात्मक लेखन हेतु राज्य स्तरीय विद्वान को प्रदान किया जायेगा जिसकी संख्या दो होगी तथा प्रत्येक की धनराशि रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी। यह सम्मान पं. मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान के नाम से जाना जायेगा।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—54/21— 4—2018—2/2013, दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा संशोधित}

31& e/kfye; lkfgR; lEeku &

समाजवादी विचारक स्व0 मधुलिमये के चिन्तन एवं विचारों को दृष्टिगत रखते हुए हिन्दी भाषा के माध्यम से उत्कृष्ट वैचारिक सर्जनात्मक लेखन तथा सामाजिक सिद्धान्तों के प्रोत्साहन में साहित्यिक योगदान देने वाले साहित्यकार को प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर का होगा, जिसकी संख्या एक होगी। इस पुरस्कार/सम्मान की राशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी।

ekin.M

(क) हिन्दी भाषा में उत्कृष्ट प्रकाशित साहित्य/कृतित्व

(ख) ख्याति प्राप्त एवं जीवित साहित्यकार

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—06 मु0मं0/21—4—2013—02/2013, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित}

(ग) 60 वर्ष से अधिक के आयु के साहित्यकारों को वरीयता।

32& jktf"k i#"kkRrenkl V.Mu lEeku&

यह सम्मान ऐसी संस्था में से किसी एक को चयन करके प्रतिवर्ष दिया जायेगा, जो देश के अहिन्दी भाषी प्रान्तों में अथवा विदेशों में विगत 10 वर्षों से हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो। जैसे – हिन्दी पत्रिका/पुस्तकों का प्रकाशन, हिन्दी साहित्य पर केन्द्रित साहित्यिक समारोहों व कार्यशालाओं का आयोजन एवं अनुवाद आदि माध्यमों से हिन्दी का प्रचार–प्रसार। इस पुरस्कार की धनराशि रु0 4,00,000=00 अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी। इस पुरस्कार हेतु संस्तुतियाँ उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा सौहार्द/प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान/हिन्दी विदेश प्रसार सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों से भी आमंत्रित की जायेंगी। पुरस्कार धनराशि संस्था को देय होगी।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0–99/21–4–2014–26/2013, दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित}

33& fof/k Hkk"k.k lEeku

हिन्दी भाषा के माध्यम से विधि/विधि शास्त्र के क्षेत्र में हिन्दी को व्यापक और यशस्वी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हो अथवा हिन्दी भाषा में विधि के क्षेत्र में सराहनीय कृतित्व से हिन्दी को गौरव प्रदान किया हो, ऐसे विधिवेत्ता लेखक अथवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश/न्यायमूर्ति जिन्होंने अपने अधिकांश निर्णय हिन्दी भाषा में दिये हो विधि के क्षेत्र में हिन्दी को स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यह सम्मान दिया जायेगा, जिसकी संख्या एक होगी। सम्मान धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी। यह सम्मान 60 वर्ष से अधिक आयु के विद्वान को देय होगा।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0–99/21–4–2014–26/2013, दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित}

34& i- Jhukjk;.k pr|oInh lkfgR; lEeku

हिन्दी भाषा के माध्यम से व्यंग्य साहित्य में विशिष्ट योगदान/दीर्घकालीन सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक साहित्यकार को यह सम्मान दिया जायेगा, जिसकी संख्या एक होगी। इसकी धनराशि रु0 2,00,000=00 (रु0 दो लाख) अथवा शासन द्वारा निर्धारित धनराशि होगी। यह सम्मान 60 वर्ष से अधिक आयु के विद्वान को देय होगा।

{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग–4 के पत्र सं0–99/21–4–2014–26/2013, दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित}

35& i- d".k fcgkjh okt i;h i|jLdkj

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट परीक्षा में क्रमशः हिन्दी एवं साहित्यिक हिन्दी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थियों के नामों का चयन सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि क्रमशः रु0 25,000=00 व रु0 35,000=00 होगी। हिन्दी/साहित्यिक हिन्दी विषय के सर्वोच्च अंक प्राप्त अधिक संख्या में छात्र/छात्राएं होने की

स्थिति में जिस विद्यार्थी के अंक सम्पूर्ण विषयों के प्राप्तांकों में अधिक होगें उसे ही पं. कृष्ण बिहारी बाजपेयी पुरस्कार दिया जाय। इस प्रकार कुल चार विद्यार्थियों को पं. कृष्ण बिहारी वाजपेयी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
{उत्तर प्रदेश शासन, भाषा अनुभाग—4 के पत्र सं0—54/21— 4—2018—2/2013, दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा संशोधित}

36& समस्त प्रकार के सम्मानों के लिए निर्धारित संस्तुति प्रपत्र के साथ संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित होना आवश्यक है तथा जिसके नाम की संस्तुति की जा रही है उसका जीवनवृत्त प्रपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त संस्तुतियों में सम्मान हेतु की गयी संस्तुतियों का मूल्यांकन करने और उनमें श्रेणी निर्धारण करने का अधिकार पुरस्कार समिति का होगा। पुरस्कार समिति सर्वसम्मति से किसी साहित्यकार की प्राप्त संस्तुतियों में सम्मान की श्रेणी में परिवर्द्धन/संशोधन भी कर सकती है।

37& वर्ष विशेष में एक साहित्यकार को एक ही सम्मान/पुरस्कार दिया जायेगा।

38& साहित्य भूषण सम्मान, लोक भूषण सम्मान, कला भूषण सम्मान, विद्या भूषण सम्मान, विज्ञान भूषण सम्मान, पत्रकारिता भूषण सम्मान, प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान, बाल साहित्य भारती सम्मान, सौहार्द सम्मान, मधुलिमये साहित्य सम्मान, विधि भूषण सम्मान तथा पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान एक ही श्रेणी के माने जायेंगे जो साहित्यकार की दीर्घकालीन/आजीवन सेवा के लिए उन्हें इनमें से कोई एक सम्मान एक ही बार दिया जायेगा।

39& यदि नियमावली से सम्बन्धित या नियमावली के द्वारा दिये गये सम्मानों/पुरस्कारों से सम्बन्धित कोई भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति अगर बनती है तो इनका न्यायिक क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ मा0 न्यायालय लखनऊ के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

पुस्तकें/प्रविष्टियाँ पुरस्कार हेतु फार्म
(वर्ष ..... में प्रकाशित पुस्तक/पत्रिका)

1— पुस्तक/पत्रिका का नाम : .....

2— लेखक/पत्रिका सम्पादक का नाम : .....

3— लेखक/सम्पादक की जन्मतिथि : .....
(केवल युवा लेखन पुरस्कार हेतु)

4— जन्म स्थान : .....

5— लेखक/पत्रिका सम्पादक का पता : .....

6— उत्तर प्रदेश में जन्म लेने या उ0प्र0 में पिछले दस वर्ष से लगातार रहने का प्रमाण—पत्र संलग्न है?
(युवा गीताकार सम्मान पर लागू नहीं) .....हाँ/नहीं.....

7— पुस्तक की विधा/विषय की संख्या :.....

8— पुस्तक की विधा/विषय का नाम : .....

9— प्रकाशन वर्ष :.....
(प्रत्येक पुस्तक पर प्रथम संस्करण ..... मुद्रित होना अनिवार्य है।)

10— प्रकाशक का नाम और पता : .....

<u>प्रमाण—पत्र</u>

(1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा रचित ..... शीर्षक पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रथम बार सन् ..... में प्रकाशित हुआ है।

(2) सम्बन्धित पुस्तक का 60 प्रतिशत या उससे अधिक भाग पुस्तक के रूप में इससे पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक शोध प्रबन्ध नहीं है एवं न ही पाठ्य पुस्तक है। (प्रमाण—पत्र का अंश (2) शिंगूल स्मृति सम्मान तथा युवा गीतकार सम्मान के लिए आवश्यक नहीं है)

लेखक/सम्पादक के हस्ताक्षर :.....

.

दिनांक : .....

पूरा पता : .....

.....

.....

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

संस्तुति—प्रपत्र — वर्ष .....

सम्मान का नाम जिसके लिए संस्तुति की जा रही है — .....

1— साहित्यकार का नाम :

2— जन्म तिथि :

3— जन्म स्थान :

4— प्रकाशित साहित्य :

5— पूर्व में प्राप्त पुरस्कार/ :
सम्मान आदि का विवरण

6— अन्य साहित्यिक उपलब्धियाँ :

7— सम्पर्क सूत्र :
(दूरभाष सहित)

● **संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित :**

(संस्तुतिकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट : ● एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य।

● सौहार्द सम्मान की संस्तुति पर सम्बन्धित भाषा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान हेतु

(अहिन्दी भाषी प्रान्तों/विदेशों में विगत 10 वर्षों से हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार में रत संस्थाओं हेतु)

संस्तुति–प्रपत्र – वर्ष .....

1– संस्था का नाम :–
(जिसके लिए संस्तुति की जा रही है)

2– संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं,
यदि है तो पंजीकृत संख्या :–

3– संस्था का स्वरूप (सरकारी/गैर सरकारी) :–

4– संस्था का कार्यक्षेत्र :–

5– संस्था का पूरा पता :–
(फोन नम्बर व ई–मेल सहित)

6– स्थापना वर्ष :–

7– विगत 10 वर्षों में हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु
किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण – संलग्न हैं/नहीं :–

8– वर्तमान में संस्था के सचिव/अध्यक्ष का
नाम व पूरा पता दूरभाष सहित :–

9– अन्य विवरण यदि कोई हो तो :–

(संस्तुतिकर्ता के हस्ताक्षर)
पता दूरभाष सहित

dfri; vU; lEeku@iqjLdkj

• gfjoa'k jk; cPpu ;qok xhrdkj lEeku

यह सम्मान श्री अभिषेक बच्चन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रुपये पाँच लाख के ब्याज से प्रदान किया जायेगा। यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर का होगा तथा हिन्दी भाषा में लिखित पुस्तक पर देय होगा। यह सम्मान गीत/मुक्तक/हिन्दी ग़ज़ल/छन्दबद्ध कविता विधा में वर्ष विशेष में प्रकाशित पुस्तक पर प्रदान किया जायगा। कृतिकार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यह सम्मान किसी कृतिकार को एक बार से अधिक प्रदान नहीं किया जायगा। इस सम्मान की धनराशि रु0 25,000=00 (रुपये पच्चीस हजार) मात्र होगी।

• i0 cnhilkn f'kxy Le'fr lEeku

यह सम्मान श्रीमती स्वरूप कुमार बक्शी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रुपये एक लाख के ब्याज से प्रदान किया जाता है। यह सम्मान वर्ष विशेष में प्रकाशित महिला रचनाकार की कथाकृति पर (आयु सीमा 35 से 50 वर्ष के मध्य, आयु प्रमाण पत्र वांछित) दिया जायेगा। यह सम्मान किसी कृतिकार को एक बार से अधिक प्रदान नहीं किया जायगा। इस सम्मान की धनराशि रु0 8,000=00 (रुपये आठ हजार) मात्र होगी।

——————————

lekIr